HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 622/2026

Sunil Kumar Urf Sunya S/o Suresh Kumar Sharma, Aged About 30 Years, R/o Swarooprai Police Station Mundawar, District Khairthal-Tijara. (At Present Lodge At District Jail Khairthal-Tijara).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amit Jindal
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini, PP Ms. Vijay Laxmi Gautam for Mr. Ashindra Gautam

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 582/2025 अपराध अंतर्गत धारा 109(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 5/27 व 3/25 आयुध अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को कोई चोट कारित नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त पर गोली चलाने का आक्षेप नहीं है। उससे किसी आग्नेयास्त्र (Fire-Arm) की बरामदगी नहीं हुई है। जिस वाहन में प्रार्थी/अभियुक्त का सहअभियुक्त चितानन्द उर्फ लाला के साथ होना बताया है, वह वाहन भी प्रार्थी/अभियुक्त का नहीं है। जो कारतूस की बरामदगी हुई है वह भी वाहन चालक की सीट के नीचे से हुई है और वाहन सहअभियुक्त द्वारा चलाना बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का समझौता परिवादी के साथ हो गया है जिसमें परिवादी ने उसके विरूद्ध

किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं चाहना प्रकट किया है। उनका तर्क है कि वह दिनांक 28.12.2025 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व के दो प्रकरण दर्ज होना बताए हैं जिनमें से एक में वह दोषमुक्त हो चुका है। अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर परिवादी पर चार राउण्ड फायर किए हैं। प्रकरण राजीनामा के काबिल नहीं है। गम्भीर अपराध है, अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती गौतम ने प्रकट किया कि प्रकरण में परिवादी का प्रार्थी/अभियुक्त सुनील उर्फ सुन्या से राजीनामा हो गया है और यदि उसे जमानत पर मुक्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा की प्रति भी उनकी ओर से पेश की गई है।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी–अभियुक्त पर हवा में गोली चलाने का आक्षेप है। किसी भी व्यक्ति को कोई चोट कारित नहीं हुई है, न ही किसी व्यक्ति को गोली लगी है। परिवादी से अभियुक्त का राजीनामा हो चुका है, जो तथ्य स्वयं परिवादी की विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में स्वीकार किया है। अभियुक्त से किसी आग्नेयास्त्र (Fire-Arm) की बरामदगी नहीं हुई है। कारतूस की बरामदगी भी वाहन चालक की सीट के नीचे से हुई है और वाहन अभियुक्त का नहीं है, न ही उसके द्वारा चलाना बताया गया है। प्रार्थी दिनांक 28.12.2025 से अभिरक्षा में है। पूर्व के लम्बित प्रकरणों में से एक में वह दोषमुक्त हो जाना बताया गया है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास

हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /19